बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या – 17 –योजना(अवधि विस्तार)–85/2015.............

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में विशेष सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यक्रम योजना के अधीन कुल 36,74,41,000/= (छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख एकतालीस हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– **स्वीकृत**।

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में विशेष सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु बन्दोबस्त कार्यालयों के स्थापना एवं अन्य मदों में राज्य योजना में कुल रूपये 36,74,41,000/= (छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख एकतालीस हजार) मात्र का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध कार्णांकित है, तद्नुसार कुल रूपये 36,74,41,000/= (छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख एकतालीस हजार) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

3. बिहार राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों तथा खतियान का अद्यतन करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यक्रम योजना की वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक के लिए स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक16.06.2015 को आयोजित बैठक के मद संख्या–10 से प्राप्त है और जिसकी अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या–17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015/1184 दिनांक–03.07.2015 से निर्गत है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यशीर्ष 2029–भू–राजस्व, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102–सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य, उपशीर्ष 0101–सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, विपत्र कोड– P2029001020101 के अन्तर्गत मांग संख्या–40 से विकलनीय होगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, होंगे। वे राशि की निकासी संबंधित कोषागारों से करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पूर्व से प्राधिकार पत्र निर्गत है इसलिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सभी जिला के जिला समाहर्त्ता को आवंटन निर्गत किया जाएगा।

7. बेलट्रान द्वारा प्रतिनियुक्त अंचल स्तर पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक की राशि की निकासी निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. स्वीकृति आदेश में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना की संचिका संख्या–17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–47 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/बजट प्रशाखा – 5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी/प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विश्वश्रैया भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–85/2015 890 **पटना, दिनांक** :– 20/5/2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/लेखापाल, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव